भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 48

जिसका उत्तर 04 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

कोयला खदानों में दुर्घटनाएँ

48. श्री दिग्विजय सिंह:
श्री शक्तिसिंह गोहिलः
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः
डा. अमी याज्ञिकः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः
श्री धीरज प्रसाद साहूः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से कोयला खदानों में रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में कोयला खदानों के संरक्षण और सुरक्षा के अंतर्गत आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला खनन स्थलों पर ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : वर्ष 2019 से 2023 तक दुर्घटनाओं का ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

(ख) : वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक कोयला खानों के संरक्षण और सुरक्षा के तहत आवंटित धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आवंटित निधि (करोड़ रु. में)
2018-19	59.50
2019-20	4.00
2020-21	6.00
2021-22	4.50
2022-23	4.00

(ग) : कोयला खानें खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा अभिशासित होती हैं। खान अधिनियम, 1952 को डीजीएमएस द्वारा उपयुक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानक और दिशानिर्देशों के विकास, निरीक्षण, दुर्घटनाओं की जांच, जागरूकता गतिविधियों, जोखिम प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

खान अधिनियम, 1952, खान नियम-1955, कोयला खान विनियम-2017 और उसके तहत बनाए गए उपनियमों और स्थायी आदेश के तहत किए गए सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के अलावा, खानों में ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) की तैयारी और कार्यान्वयन।
2. प्रमुख खतरा प्रबंधन योजनाओं (पीएचएमपी) की तैयारी और कार्यान्वयन।
3. साइट-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का निर्माण और अनुपालन।
4. बहु-विषयक सुरक्षा ऑडिट टीमों के माध्यम से खानों का सुरक्षा ऑडिट करना।
5. स्ट्रेटा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक कार्यतंत्र को अपनाना।
6. खान पर्यावरण की निगरानी।
7. ओसी खानों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय:
    - विस्फोट मुक्त सुरक्षित खनन के लिए पर्यावरण-अनुकूल सतही खनिकों का उपयोग।
    - खान-विशिष्ट ट्रैफिक नियमों का निर्माण और कार्यान्वयन।
    - एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
    - निकटता चेतावनी उपकरण, रियर व्यू मिरर और कैमरा, ऑडियो-विज़ुअल अलार्म (एवीए), ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और शमन प्रणाली आदि से जुड़ा हुआ डंपर।
    - ऑपरेटरों के आराम के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई सीटें और एसी केबिन।
    - ओसी खान के अंदर एचईएमएम की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कुछ बड़े ओसीपी में जीपीएस आधारित ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) और जियो-फेंसिंग।

- रोशनी के स्तर को बढ़ाने के लिए हाई मास्ट टावरों का उपयोग करके प्रकाश की व्यवस्था।

8. खान सुरक्षा पर प्रशिक्षण:

   - क़ानून के अनुसार प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण।
   - एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
   - विभिन्न विषयों पर निरंतर आधार पर फ्रंट लाइन खान अधिकारियों का कौशल उन्नयन।
   - सुरक्षा समितियों के सदस्यों और ठेका कामगारों सहित सभी कर्मचारियों को नियमित आधार पर जागरूक करना।
   - खान अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम।
   - एसआईएमटीएआरएस मान्यता प्राप्त अधिकारियों द्वारा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण।

9. खान सुरक्षा निरीक्षण:

   - पर्याप्त संख्या में सक्षम और वैधानिक पर्यवेक्षकों तथा खान अधिकारियों द्वारा सभी खनन कार्यों का चौबीसों घंटे पर्यवेक्षण।
   - प्रत्येक खान में नियुक्त कामगार निरीक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण।
   - खान एवं क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों द्वारा बैक शिफ्ट खान का औचक निरीक्षण।
   - आंतरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों द्वारा नियमित खान निरीक्षण।
   - वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवधिक खान निरीक्षण।

****

अनुबंध

वर्ष 2018 से 2023 तक दुर्घटनाओं का ब्यौरा -

राज्य	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या
2018		
छत्तीसगढ़	11	6
गुजरात	1	1
झारखंड	9	14
मध्य प्रदेश	7	17
महाराष्ट्र	2	11
ओडिशा	8	2
तेलंगाना	8	207
तमिलनाडु	1	0
उत्तर प्रदेश	1	0
पश्चिम बंगाल	1	8
कुल	**49**	**266**
2019		
छत्तीसगढ़	7	10
झारखंड	11	7
मध्य प्रदेश	3	8
महाराष्ट्र	3	12
ओडिशा	7	2
राजस्थान	1	0
तेलंगाना	8	143
तमिलनाडु	1	0
उत्तर प्रदेश	2	0
पश्चिम बंगाल	8	11
कुल	**51**	**193**
2020		
छत्तीसगढ़	12	5
गुजरात	0	1
झारखण्ड	8	11
मध्य प्रदेश	4	5

महाराष्ट्र	4	4
ओडिशा	5	2
तेलंगाना	9	80
उत्तर प्रदेश	0	2
पश्चिम बंगाल	6	8
कुल	**48**	**118**
2021		
छत्तीसगढ़	5	10
झारखंड	7	15
मध्य प्रदेश	7	16
महाराष्ट्र	4	5
ओडिशा	2	3
तेलंगाना	7	127
तमिलनाडु	0	1
उत्तर प्रदेश	1	1
पश्चिम बंगाल	10	10
कुल	**43**	**188**
2022		
आंध्र प्रदेश	0	1
छत्तीसगढ़	4	19
झारखण्ड	7	16
मध्य प्रदेश	6	18
महाराष्ट्र	0	8
ओडिशा	0	4
राजस्थान	0	1
तेलंगाना	5	101
तमिलनाडु	0	1
उत्तर प्रदेश	0	1
पश्चिम बंगाल	2	9
कुल	**24**	**179**
2023 (दिनांक 20.11.2023 तक) (अनंतिम)		
पश्चिम बंगाल	4	3
झारखंड	8	3

मध्य प्रदेश	2	5
उत्तर प्रदेश	1	6
छत्तीसगढ़	2	11
महाराष्ट्र	2	2
ओडिशा	6	0
असम	0	0
तेलंगाना	5	59
कुल	**30**	**89**

****